संपादकीय

प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, मानसून केरल पहुंच गया है। इस साल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मानसून सामान्य रहेगा। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तरह, सरकार कृत्रिम रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए खेतों से उत्पन्न उत्पादों की प्रारंभिक कीमतों को कम किए हुए है।

पिछले 6 वर्षों की औसत मुद्रास्फीति दर 7.74 प्रतिशत रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इस साल बढ़ोतरी बहुत ही सीमित रही है; ए ग्रेड के धान के लिए एमएसपी को केवल रु. 60 की बढ़ोतरी करते हुए रु. 1510 किया गया था जो कि 4.1 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस प्रकार तीन वर्षों के औसत पर, एमएसपी को प्रभावी तरीके से 3.8 प्रतिशत तक कम किया गया है। नई न्यूनतम समर्थन मूल्य को रु. 1562 होना चाहिए था केवल मुद्रास्फीति के साथ इसका सामन्जस्य बिठाने के लिए। इसका अर्थ यह है कि किसानों को सूखे से ग्रसित एक साल में भुगतान में कटौती का भी लाभ दिया गया, एमएसपी को कम किया गया। इसके सीधे मायनों में किसानों की वास्तविक आय घट रही है, न कि किसानों की आय दुगनी हो रही है। किसानों को एक घटी हुई एमएसपी क्यों स्वीकार करनी चाहिए? जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय को दुगना करने की घोषणा की है।

चूंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने एमएसपी को पिछले तीन वर्षों की तुलना में औसतन 3.93 प्रतिशत तक बढ़ाया है, जबकि विगत तीन वर्षों में एनडीए की सत्ता में आने के पश्चात, समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष 9.39 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

लेकिन, चाहे कृषि उत्पादों की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की भी बढ़ोतरी क्यों न हो जाए, छोटे–छोटे आकार के खेतों के धारण के चलते 33 प्रतिशत से अधिक किसान गरीबी रेखा के नीचे ही रहेंगे। आय का दुगना किया जाना सबसे अधिक खेत के बाहर जो होता है उस पर निर्भर करता है, अर्थात् सत्ता के गलियारों में।

अनियमित मानसून पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए, 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने 'प्रति बूंद अधिक फसल' की धारणा को प्रोत्साहित किया है। ज्यादातर मामलों में एक नदी घाटी से दूसरे में पानी का हस्तांतरण करना इसका उत्तर नहीं है बल्कि पानी में निवेश कुशल तौर पर उपयोग पानी की उपलब्धता को तीन गुना तक बढ़ाएगा। लेकिन, सूक्ष्म तौर पर सिंचाई के लिए थोड़े से बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री के स्वप्ने साकार नहीं हो पाएंगे। कोई भी संस्थान कितना कर पाता है इस पर ध्यान दिए बगैर, 60 प्रतिशत भारतीय किसान हमेशा ही वर्षा पर निर्भर रहेंगे और इस प्रकार मानसून पर हमारी अर्थव्यवस्था की निर्भरता भी बनी रहेगी।

श्री जयंत सिन्हा, माननीय केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार

कृषि समस्या को हल करने हेतु पांच कदम

यदि भारत अपनी आर्थिक समृद्धि के बारे में गंभीर है तो भारत में कृषक समुदाय द्वारा झेली जा रही कृषि समस्याओं पर तुरंत समाधान करने की जरूरत है क्योंकि कृषि संबंधी समस्याएं सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास की गति पर प्रभाव डालता है। वित्त मंत्रालय गंभीरता से कृषि क्षेत्र की भलाई के लिए प्रयासरत है क्योंकि इसमें वृद्धि के बगैर, देश की प्रगति असंभव है और यही वित्त मंत्रालय का प्राथमिक चिंता का विषय भी है।

निवेश क्षेत्र में कार्यअनुभव के साथ एक इंजीनियर होने के अलावा, मैं एक किसान भी हूँ। करीबन 25 साल पहले, मेरे पिताजी के पास हजारीबाग, झारखंड में एक खेत था और परिवार में छः एकड़ भूमि पर फलदार आम के बगीचे थे जिसमें बहुत सारी कृषि गतिविधियां हुआ करती थीं। खेत में हम सब्जियां, गेहूँ और धान, लहसुन और अदरक और इसी तरह की अन्य चीजें उगाया करते थे। इसलिए मैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से काफी करीबी तौर पर परिचित हूँ। इस समुदाय को आज जो बातें परेशान करती हैं मेरे लिए वे प्राथमिक अनुभव रहे हैं। इसलिए, आज की बैठक में हिस्सा लेना मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है, न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि वित्त मंत्रालय और सरकार की ओर से भी।

कृषि को उत्पादक बनाने के मामले में यह एक दीर्घकालिक चुनौति प्रदान करता है। इसके कई कारण हैं कि भारत में वांछित उत्पादकता के स्तर को यह क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक ऐसी समस्या उभर रही है जो कि पिछले दो वर्षों में अल्पवर्षा से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को वैश्विक स्तर पर तत्काल कार्रवाई के महत्व को काफी बल दिया गया है।

वर्षा के पैटर्न (स्वरूप) में बदलाव के साथ पारंपरिक कृषि अभ्यास भी बाधित होते जा रहे हैं, और नई दशाओं को अपना पाना काफी कठिन होता जा रहा है। यह और अधिक तब बन जाता है जब देश विकराल तौर पर पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा हो, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जो कि अपर्याप्त सिंचाई की समस्या से पहले ही ग्रसित है, जो कि इसकी स्थिति को बद् से बद्त्तर बना देता है। चुनौति यह है कि ऐसे उचित समाधानों की खोज की जाए जो कि बजटीय योजनाओं से समर्थित हों।

तैयार की गई योजनाएं और कृषि नीतियां तथा वित्तीय नियम प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। कृषि उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन समस्याओं के प्रश्न को किसानों की आय के महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ समीक्षा किए जाने की जरूरत है। सरकार की यह मान्यता है कि यदि भारत को किसी एक लक्ष्य को अपनाना हो, तो अवश्य ही यह किसानों की आय को दुगना करना ही होगा।

किसानों की आय के संबंध में 'आप जो मानते हैं, मायने रखता है' इस अवधारणा पर विश्लेषण को जारी रखते हुए – जिसके सापेक्ष सभी नीति प्रयासों को मापा जाता है – व्यक्ति को केवल एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है जिससे कि देश में कृषक समुदाय की आय की बढ़ोतरी की जा सके। इसी छोर को ध्यान में रखकर ही नीतियों को तैयार किया गया है। सरकार को पूरा विश्वास है कि पांच या छः महत्वपूर्ण नीतियों को अपनाना, जो कि किसानों की आय की बढ़ोतरी पर केन्द्रित हैं, अवश्य ही प्रभावकारी साबित होगा।

सर्वप्रथम, सरकार 'फसल बीमा योजना' को कार्यान्वित करने पर ध्यान दे रही है जिससे कि किसानों की आय को सुरक्षित किया जा सके जो कि किसी भी अप्रत्याशित आपदा के होने के मामले में घटती चली जाती है। फसल बीमा योजना किसी भी आकस्मिक आपदा जैसे कि सूखा या बाढ़ की वजह से किसानों की मौद्रिक हानि को सुरक्षित करेगा।

दूसरा, भारत का 47 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को कि कम सिंचाई की समस्या से ग्रसित है, की समस्या को सुलझाने के लिए 'सिंचाई योजना' को लाया गया है जबकि 53 प्रतिशत क्षेत्र बिना सिंचाई के है। यह कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसे एक रात में हासिल कर लिया जाएगा और इसके लिए कई तकनीकीयों को अपनाना होगा जिसमें भूजल, गहरी खुदाई और कृषि भूमि में सिंचाई की अन्य समर्थित प्रचलित तकनीकीयों को भी लाने की आवश्यकता होगी। यदि 80 प्रतिशत कृषि भूमि (47 प्रतिशत में से) सिंचित हो जाती है, तो अवश्य ही यह किसानों की आय को बढ़ाएगा और उन्हें एक से अधिक फसल के लिए सक्षम बनाएगा। इसीलिए सिंचाई पर इतना अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

तीसरा, भूमि स्वास्थ्य कार्ड किसानों को किसी फसल विशेष में बेहतर पैदावार के लिए भूमि की उपयुक्तता की जानकारी और शिक्षा प्रदान कर सकेगा। क्या किसी सब्जी उगाने वाले किसान को आलू, प्याज, टमाटर, अदरक या लहसुन उगाना चाहिए? भूमि स्वास्थ्य कार्ड जो कि किसानों में जागरूकता पैदा करेगा, को हाल ही में कृषि मेले के दौरान संवितरित किया गया है और प्रदर्शन के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि किसान इसका उपयोग किस प्रकार अपनी भूमि के लिए सही फसल के लिए कर सकते हैं।

चौथा, 'ग्राम सड़क योजना' किसानों के उत्पादों को बाजारों और भंडारगृहों तक त्वरित तौर पर परिवहन करने में मदद करेगी। किसान कोल्ड स्टोरेजों का फायदा भी ले सकते हैं, खासकर टमाटर और अन्य त्वरित तौर पर नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए। सरकार बाजारों से सुलभ पहुंच सुनिश्चित करेगी ताकि अंतिम उत्पाद की बिक्री और खरीद को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा, किसान चैनल और किसान कॉल केन्द्र की भी शुरूआत की गई है जिससे कि कनेक्टिविटी और संचार को बेहतर बनाया जा सके।

पांचवा, विविधिकरण पर अधिक ध्यान। सरकारी समर्थन के साथ यदि किसान पशुधन को विविध बनाकर संवर्धित करें, किसी तालाब का उपयोग कर एक मास्यिकी केन्द्र स्थापित करें, बागवानी क्षेत्र विकसित करें या फिर किसी कृषि–प्रसंस्करण गतिविधि में शामिल हों। इस प्रकार के विविधिकरण से उनकी आय वृद्धि में मदद मिलेगी। हमारे पास यही पांच सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हैं जो अवश्य ही किसानों की आय की बढ़ोतरी करेंगी।

कृषि का अन्य एक महत्वपूर्ण पहलू है न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)। एक ओर बताई गई ये पांच नीतियां/योजनाएं आवश्यक तौर पर किसानों की आय में वृद्धि करेंगी, वहीं एमएसपी के मामले में लोचक होने और जब कभी आवश्यक हो समयानुसार इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। पहुंच को आयामी और लोचक बनाने की जरूरत है ताकि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि न हो, जो कि समस्या का दूसरा छोर है और जो ग्राहकों, खासकर बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय को अधिक प्रभावित करता है, और जो चुनावों के दौरान काफी मुखर हो जाते हैं।

सरकार जो करना चाहती है वह है कि समर्थन मूल्यों के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी में मदद कर सके लेकिन साथ ही मुद्रास्फीति और किसानों की आय के बीच संतुलन भी बना रहे। एमएसपी लघु अवधि की समस्याओं का आवश्यकता की घड़ी में समाधान कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि के प्रयासों को

संरचनागत सुधारों पर उत्पादको को बेहतर बनाने के साथ साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी के किया जाना होगा।

बढ़ती हुई पूर्ण मात्रा के संदर्भ में सरकार उन्नत क्रेडिट कृषि सुगमता के लिए भी बदलाव कर रही है– जिसके तहत रु.900,000 करोड़ क्रेडिस सुविधाएं प्रदान करना शामिल है– लेकिन यह खाद्य प्रसंस्करण हेतु सब्सिडी के साथ–साथ कृषि–प्रसंस्करण के लिए मुद्रा ऋणों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के विकल्पों पर भी जोर दे रही है। यह भुगतानकर्ता बैंकों का उपयोग करते हुए तथा पोस्ट ऑफिसों में अधिक से अधिक क्रेडिट सुविधा शाखाओं को खोलने के द्वारा अपने वित्तीय कार्यक्रमों के समावेश के माध्यम से क्रेडिट सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने पर प्रयासरत है। भारतीय रिज़र्व बैंक की घटी दरों के साथ यह ऋण न्यूनतम ब्याज दरों पर भी उपलब्ध रहेगा।

इस कार सरकार 'कृषि' की समस्या का समाधान करना चाहती है। यह आप सभी के समक्ष खुला हुआ है कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव या प्रस्ताव सामने रखें जिससे कि हम खेतों में अपनी उत्पादकता को और अधिक बेहतर बना सके और विकास ला सकें। यह विदित है कि केवल नीतियां बना लेना ही इनका समाधान नहीं हैं जब तक कि लोगों के बीच पर्याप्त जागरूकता के साथ इनका समुचित कार्यान्वयन किया जाए। यही वह बिन्दु है जहां यह समुदाय मदद दे सकता है। सरकार सभी सार्थक विचारों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगी और स्व–जागरूकता द्वारा नीतियों के समुचित कार्यान्वयन हेतु तकनीकों का उपयोग करते हुए भारतीय किसान समुदाय को इन प्रयासों का कुशलता से समर्थन करना होगा। ऐसे ठोस प्रयासों के बगैर, कृषि समस्याओं का निराकरण करना बहुत ही मुश्किल है।

श्री योगेन्द्र यादव, सदस्य, स्वराज अभियान राष्ट्रीय समन्वय समिति और राष्ट्रीय संयोजक, जय किसान आंदोलन

जब हम कहते हैं कि किसान बहुत तनावग्रस्त हैं, ऐसा कहकर सरकार तब उनकी उन्हीं मनोभावना को व्यक्त करती है कि वे बहुत ही गंभीर संकट में हैं। और जब हम कहते हैं कि देश में सूखा पड़ा है, वे सहमत होते हैं। जब हम कहते हैं कि किसानों की आय बहुत ही कम है, वे कहते हैं कि आय बहुत कम है और हम इसे दुगना कर देंगे।

यदि वायदों से कृषि समस्याओं का निराकरण हुआ होता, भारतीय किसान आज सबसे खुशहाल और संतुष्ट होते। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी किसानों को बेहतर बनाने के बारे में बहुत कुछ कहती है। लेकिन जमीनी हालात को परख कर देखें और उन चिंताओं को उठाएं तो ये सभी परिचर्चाएं केवल व्यावहारिक विषय बन कर नहीं रह जाती हैं।

शब्द 'ग्रामीण संकट' या 'कृषि संकट' अपने आप में पूरा का पूरा सफेद झूठ है। संकट अपने आप में अस्थायी होता है जो किसी कारक के चलते होता है। किसी वर्ष में सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति का अर्थ है संकट हो सकता है। गांवों में क्या हो रहा है वह संकट नहीं हैं; इसके लिए सही शब्द है 'समस्या'। आज यहां 'कृषि समस्या' है।

संयोग से, पिछले दो सालों से सूखा पड़ा हुआ है। यहां तक उन क्षेत्रों में जहां ऐसा नहीं है, परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही, अकेले कृषि और खेती पर ध्यान देकर इस कृषि परिस्थिति का समाधान नहीं किया जा सकता है। विकास का पूरा मॉडल ऐसे तौर पर उभरा है कि किसान समृद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। विकास का यह मॉडल उत्पादन–समर्थक है न कि उत्पादक–अभिमुख। कुल मिलाकर पूरा का पूरा उत्पादन आंकड़ा अच्छा है, एक सूखाग्रस्त साल में भी या ऐसे ही जैसा कि सरकार दावा करती है।

दो बुनियादी बातों में एक है नीति खतरे और राजनीतिक खतरे; और पहला खतरा अक्सर दूसरे से काफी विकराल होता है। नीतियों के साथ कुछ समस्याएं हैं जिन पर चर्चा की आवश्यकता है। सरकार हमेशा किसानों को यह कहने का प्रयास करती है कि यह उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री, पी. चिदंबरम ने कहा था कि उन्होंने देश के 80 प्रतिशत हिस्से को शहरी क्षेत्र में बदलने का सपना देखा है। हो सकता है उन्होंने यह बात एक अनचाहे समय में कह दी हो – भले ही आज ये सभी का सपना है– लेकिन लोग आज इस बारे में खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं। संक्षेप में, एक अलिखित नीति है कि गांवों को पूरा समाप्त कर करना होगा। खेती भारतीय किसानों के हाथों से छीन ली जाएगी और बड़े कार्पोरेट घरानों को सौंप दिया जाएगा, किसान जो कि वर्तमान में भूमिस्वामी हैं अपने बच्चों को इन कार्पोरेट घरानों के फार्मों में एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते देखेंगे।

यह एक अनकही मंशा है और, यदि लोग कभी इस बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार करते हैं कि किसान इसके महत्व को समझ नहीं पाता है क्योंकि इसे जनसांख्यिकीय और ऐसे ही अन्य मामलों से जोड़कर परिचर्चा की जाती है। एक अंतर्निहित धारणा है कि जो कुछ यूरोप में हुआ वह भारत में भी होगा भले ही कोई यह नहीं पूछता की क्यों और किन परिस्थितियों तथा संदर्भ में ये चीजें यूरोप में हुईं।

किसानों के लिए मूल्य–निर्धारण प्रोत्साहन पर नीतियों के साथ शुरूआत की जा सकती है जो कि शुरूआत करने के लिए अपने आप में काफी जटिल है। कुछ भारतीय किसानों को चावल और गेहूँ के लिए कुछ एमएसपी मिलती है और, इसलिए, इन फसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए न कि उन पर जिन पर उन्हें आश्वस्त फायदा प्राप्त नहीं होता है।

अर्थशास्त्री इस पर बहस कर सकते हैं कि मूल्य प्रणाली के माध्यम से हस्तक्षेप किसानों की मदद करता है लेकिन यह ऐसा प्रदर्शित होगा कि और कोई रास्ता ही नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ आय प्रणाली की योजना तैयार की जाए और किसानों के संघ खुले तौर पर चर्चा करें कि कौन सा मॉडल उन्हें आय आश्वासन प्रदान करने के लिए सबसे बेहतर होगाः प्रत्यक्ष आय सहायता अथवा आश्वासन मूल्य प्रणाली। इनमें से कोई भी प्राथमिक तौर पर किसानों के हितों के विरुद्ध नहीं है लेकिन यदि किसानों को बचाना है तो आय आश्वासन की गारंटी अवश्य होनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि कितनी उर्वरक सब्सिडी का उपयोग किसान कर रहे हैं और भारत किस प्रकार किसानों को उनकी फसल–पैदावार प्रक्रिया में अधिक से अधिक उर्वरक रूपी ज़हर मिलाने और भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए आश्वस्त करने हेतु विकृत तौर पर प्रोत्साहित कर रहा है। क्या कोई और बेहतर विकल्प किसानों को सुझाया जा सकता है जिससे कि वे उर्वरक का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि इसे सब्सिडीकृत किया जा सके? विचार यह है कि उर्वरक अथवा ऑर्गेनिक खाद के विवेकपूर्ण उपयोग को कम करना। समस्या यह है कि भारत एक नीति तैयार करता है और उसे रद्द करने के लिए दूसरी विकसित करता है। एक ओर यह उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहन देती है और, दूसरी ओर यह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। अवश्य ही, यहां बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो यह बता सकते हैं कि किस प्रकार उर्वरक सब्सिडी में धनराशि को खर्च किया जा रहा है जिसे कि किसानों को दिया जा सकता है और जो यह निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार का उर्वरक और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी या नहीं होनी चाहिए, अथवा उर्वरक का उपयोग करना है या फिर बिल्कुल नहीं करना है।

तीसरा मुद्दा उन लोगों की संख्या के बारे में है जो कर नहीं देते हैं, वे यह दावा करते हैं कि उनकी आय कृषि आय है। सांख्यिकी, जिसे सूचना का अधिकार के माध्यम से प्राप्त की गई है, बहुत ही चौंकाने वाले हैं और जब इसे संसद में उठाया गया तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा नकारा नहीं गया। पिछले कुछ सालों में लगभग रु. 200,000 करोड़ का दावा कृषि आय के अधीन किया गया जिसके सापेक्ष किसी भी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं किया गया है। इस रु.200,000 करोड़ पर फायदा किसे मिल रहा है? किसानों को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या किसान संघों को यह मांग करनी चाहिए कि रु.1 करोड़ से उपर के किसी भी आय पर – भले ही किसान इतना नहीं कमाते हैं– कर लगाया जाए? इस छोड़े गए करयुक्त आय का विशेष तौर पर इस्तेमाल किसानों के लिए किया जाना चाहिए। इस कभी भी कोई खुली चर्चा हुई ही नहीं है और ऐसा करने का अब समय आ गया है।

इसलिए ऐसे कई नीति–आधारित मुद्दे और राजनीतिक मामले हैं, जो कि वास्तविक समस्याएं हैं। मंत्री द्वारा उनके पांच किसान–उन्मुख नीतियों और एक क्रियाशील वा लोचक एमएसपी के माध्यम से किसानों की आय को दुगना करने की बात कही गई है। तो फिर सरकारी कर्मचारियों की आय में ऐसी कोई लोचकता की बात क्यों नहीं है, पर किसानों की एमएसपी को लोचक होना चाहिए? सरकार बड़े बड़े वायदे करती है और मीडिया के लोगों को इसके लिए तैयार किया जाता है। किसी ने भी सरकार पर प्रश्न नहीं उठाया और 'किसान उन्मुख' बजट प्रस्तुत करने के लिए सरकार की भूरी–भूरी प्रशंसा की गई; यहां तक कि टीवी स्टूडियो में होने वाली परिचर्चाओं में भी।

इस स्तर पर ऐसा सोचना पाखंड और गूंगापन होगा। रु. 20,000,000 करोड़ के बजट में, जैसा कि सरकारी आंकड़े हैं, इसमें से रु. 20,000 करोड़ कृषि को आवंटित किया गया, जिसमें से लगभग रु.15,000 करोड़ की धनराशि कुछ खातों से संबंधित हेराफेरी के सामन्जस्य के लिए हैं। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर आंकड़ों में हेराफेरी की है। सरकार ने यदि ऐसे दावों स्टॉक एक्सचेंज, शेयरों या किसी कार्पोरेट घराने से संबंधित किए होते तो शाम होते ही टेलिविज़न स्टूडियो पर परिचर्चाएं पूरी तरह कुछ और ही होतीं। यह धोखाधड़ी का एक साधाराण मामला है और सरकार ने शाम तक सराहना पाने में सफलता प्राप्त कर ली और धोखे की ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं।

सरकार सिंचाई के बारे में बात करती है और इसमें खर्च की जाने वाली राशि में रु.5,000–6,000 करोड़ तक की बजट कटौती की गई है। हमने सर्वोच्च न्यायालय में पूछा है कि अपने कृषि ऋण पुनर्गठन के साथ सरकार कितनी मोटी हो गई है। सरकार ने लंबे–चौड़े उत्तर दिए हैं जिसे हमने एकत्र किया और यह जानने के लिए विश्लेषण किया कि पिछले साल कुल ऋण पुनर्गठन– केवल सूखे और बर्फबारी के कारण होने वाले– रु.4,900 करोड़ था। इसकी तुलना कार्पोरेट घरानों हेतु विभिन्न अनुमानों द्वारा लगभग रु.300,000 करोड़ के ऋण पुनर्गठन से की जाए।

पुनर्गठन का सीधा–सीधा अर्थ है ऋण माफी, भुगतान को आस्थगित करना या लिए गए ऋण के सापेक्ष ब्याज दरों में कमी करना। कृषि तथा कार्पोरेट घरानों हेतु किए गए पुनर्गठन की तुलना करें और वास्तविकता अपने आप सामने आ जाती है। पिछले साल सूखे की स्थिति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के प्रति उत्तर के बारे में पूछने पर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कही है। न्यायधीष ने इंगित किया कि नीति का कार्यान्वयन तो एक साल बाद किया जाएगा और न कि चालू वर्ष में। यहां तक कि यह नीति किसी भी बुनियादी मसले का पूर्णतया हल नहीं करती है; समस्या का यह लगभग 20 प्रतिशत कवर करती है और इसके कवरेज को व्यापक बनाने अथवा वैश्विक करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं।

'कृषि समस्या को सुलझाना' एक राजनीतिक प्रश्न क्यों है? ऐसा इसलिए कि भारत में किसान उतने शक्तिशाली नहीं हैं कि वे अपनी मांगों को पूरा करा सकें।

सरकार ने लगभग रु.14,000 करोड़ की राशि मंहगाई भत्ते की एक किस्त के तौर पर अपने कर्मचारियों के लिए खर्च कर दी। और सिंचाई पर इसका खर्च इस राशि से कहीं कम है। बुनियादी तौर पर, किसी को भी कृषक वर्ग की चिंता नहीं है। भले ही नेतागणों को यह पता चल गया है कि किसान अब परेशान हैं, वे अभी भी यह मानते हैं कि वे किसान वर्ग को एक सवारी के लिए ले जा सकते हैं। आज, कृषि सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, किसान आंदोलन, किसानों के संघ और उनकी राजनीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। पिछले 25–30 सालों में ऐसा कभी भी नहीं था।

ऐसे समय में जब आंदोलन को सबसे शीर्ष स्तर पर होना चाहिए, इसे सबसे कमजोर स्थिति में ढकेल दिया गया है। फसलों और क्षेत्रों के आधार पर, यह कमजोर और बंटा हुआ है। गन्ने के किसान और गेहूँ उगाने वाले किसानों की अलग–अलग समस्याएं हैं जबकि रबर उगाने वाले किसानों की उनकी अपनी अलग समस्या है। वे एक साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं जबकि बाकी एमएसपी समर्थित किसान, मनरेगा किसान और 'सीमांत किसान' के रूप में आपस में बंटे हुए हैं।

सभी यह मानते हैं कि कई सिंचाई परियोजनाएं केवल निकासी की बिन्दु पर आ कर बंद हो गई हैं और इन्हें एक–बारगी निकासी समाधान की आवश्यकता है। इसमें लगभग रु.1.5–2 लाख करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। यदि नदियों को जोड़ने जैसे बड़े मुद्दों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और लंबित सिंचाई परियोजनाओं को एक–बारगी निकासी देने के मामले को हाथ में लिया जाए, तो अवश्य ही यह एक सबसे बड़ा कदम होगा। पांच साल पहले, भारत ने उद्योगों को बचाने के लिए रु.300,000 करोड़ की राशि का पैकेज दिया था, वह भी इसलिए कि अमेरिका में मंदी आ गई थी। क्या देश रु.1–2 लाख करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को जमानत नहीं दे सकता? यह प्रदर्शित करेगा कि सरकार की प्राथमिकता कृषि है अथवा नहीं।

आय की गारंटी एक उल्लिखित आवश्यकता है, भले ही यह मूल्य समर्थन प्रणाली के माध्यम से नहीं की जाती हो। श्रम सुधारों और इस दिशा में अन्य प्रयासों के लिए कई साधन असफल इसलिए हो गए हैं कि इनमें बाजार प्रणाली और इसके बौद्धिक तौर पर या विवेकपूर्ण उपयोग की समझ नहीं थी। राजनीति में समस्या यह है कि हर कोई दूसरे के साधन की पूजा करना प्रारंभ कर देता है। इससे बचना चाहिए। व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए न कि उसके रास्ते के प्रति। क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं।

वैश्विक बीमा योजनाएं जो सभी किसानों की सभी फसलों को कवर करती हों। पूरी की पूरी प्रीमियम राशि को सरकार द्वारा भुगतान की जानी चाहिए, अन्य के लिए प्रीमियम की 80 प्रतिशत राशि को सरकार द्वारा अदा किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ही व्यवहार्य है। किसी भी प्रकार की फसल काट कर जांच करने की आवश्यकता नहीं है; चीजों को सैटेलाइट चित्रों और मौसम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

आखिरी प्रश्न आधुनिक कृषि और ऑर्गेनिक खेती के बारे में है और यह बहस अब धार्मिक बनती जा रही है। तथ्य आधारित पहुंच के बजाए, लोग अब लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं। उर्वरक के फायदे उसके उपयोग की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर आधारित होता है, यह विज्ञान इसके उच्चतम उपयोग को इंगित करता है। किसानों के पास उत्पादकता के ऐसे भंडार हैं जैसा सरकार चाहती है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाए, और उत्पादकता के ईर्द–गिर्द कुछ निर्णयों को किसानों पर ही छोड़ देना चाहिए।

भारत में आर्थिक नीतियों पर विचार–विमर्श, राजनीति पर चर्चा की तुलना में अधिक राजनीतिक बन जाता है। यह एमएसपी, विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों अथवा पीडीएस तथा ऐसे ही अन्य विषयों पर बहस इत्यादि को जटिल बना देता है। ये ज्यादातर साक्ष्य–आधारित न होकर सैद्धांतिक हो जाते हैं और हर किसी को इसे बदलने के लिए कार्य करना चाहिए। राजनीतिक स्थिति की एक गहरी प्रतिबद्धता किसी को बौद्धिक बनने से रोकना नहीं होना चाहिए यहां तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रयोग करने के दौरान भी। कभी–कभी ये दोनों चीजें एक साथ आ ही नहीं सकती।